20 अगस्त, 2018 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय मंत्रालय ,श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (आईएलआर) की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर), श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) की पंद्रहवीं बैठक 20 अगस्त, 2018 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय श्री अर्जुन राम मेघवाल , माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार,श्री टी हरीश राव, माननीय जल संसाधन मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, श्री डी उमा महेश्वर राव, माननीय पर्यटन और सिंचाई मंत्री, उत्तराखंड सरकार, श्री सतपाल महाराज, माननीय जल संसाधन मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री डी के शिवकुमार और विभिन्न केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और अन्य अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-I में रखी गई है।

प्रारंभ में सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के अन्य माननीय मंत्रियों तथा नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति के सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत किया।

माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि राजविअ एनपीपी के अंतर्गत प्रस्तावित नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) की परियोजनाओं और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंतर-राज्य लिंक परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि आईएलआर परियोजनाओं के लिए 90:10 के अनुपात में केंद्रीय राज्य वित्त पोषण पैटर्न के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट, आंतरिक और बाहरी वित्तपोषण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन और आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (एनआईआरए) के गठन को टिप्पणियों के लिए सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि एनपीपी के अंतर्गत आईएलआर कार्यक्रम और राज्य के भीतर लिंक के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता बहुत अधिक है। माननीय मंत्री महोदय ने सूचित किया कि वे राष्ट्रीय परियोजनाओं

के रूप में अंतर-राज्यीय और अंत:-राज्यीय लिंक परियोजनाओं दोनों के वित्तपोषण के मुद्दे को जोर-शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कार्यान्वयन के लिए तैयार लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए करार पर हस्ताक्षर करने में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्यों से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन के लिए पांच लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है और संबंधित राज्यों से सहयोग मांगा गया है। उन्होंने बताया कि आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से केवल राज्यों को लाभ होगा और इस प्रकार संबंधित राज्यों को सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जा सके।

ग्रामीण पलायन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, माननीय मंत्री ,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने उल्लेख किया कि आईएलआर परियोजनाएं सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों को पानी प्रदान करेंगी। कृषि गतिविधियों में वृद्धि से बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का समग्र सामाजिक उत्थान होगा और ग्रामीण पलायन पर रोक लगेगी। उन्होंने संकेत दिया कि देश के कुछ हिस्से बाढ़ से पीड़ित हैं और साथ ही देश के कई अन्य क्षेत्रों में पीने के लिए भी पानी नहीं है। देश के कई हिस्सों में आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं के कारण पानी दूषित है जो मानव उपभोग के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से राष्ट्रीय हित में आईएलआर परियोजनाओं पर विचार करने और मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया ताकि आईएलआर परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाया जा सके और देश में बाढ़ और सूखे के कारण लोगों की पीड़ा को कम किया जा सके।

माननीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री ने आगे उल्लेख किया कि सर्वेक्षण और जांच तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना किसी भी जल संसाधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए, प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, राजविअ को पहले नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की डीपीआर को पूरा करना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने सिंचाई परियोजनाओं में पाइपों के उपयोग के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है। पानी ले जाने के लिए पाइप नेटवर्क के उपयोग से भूमि अधिग्रहण में कमी आएगी जो अंततः परियोजना की लागत को कम करेगी। माननीय मंत्री महोदय ने राज्यों की सहमति और आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक कानूनी तंत्र गठित करने की आवश्यकता

पर भी ध्यान दिया। उन्होंने सभी राज्यों को न्याय का आश्वासन दिया। चूंकि गरीब सबसे बुरी तरह प्रभावित है और आईएलआर परियोजनाएं आर्थिक विकास प्रदान करेंगी, इसलिए आईएलआर और अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है और आईएलआर परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए राज्यों के सहयोग का अनुरोध किया जाना चाहिए।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) ने स्पष्ट किया कि जल संसाधन परियोजनाएं प्रकृति में बहुत जटिल हैं। राजविअ डीपीआर को पूरा करने और अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि 50 साल पहले नियोजित कुछ जल संसाधन परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि परियोजना का जल विज्ञान और योजना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य का उदाहरण दिया जहां दो बांधों को इस तथ्य के कारण पानी नहीं मिल सका कि अपइस्ट्रिम में कुछ बांधों का निर्माण किया गया था। वर्तमान परिदृश्य में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014 के बाद भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दों के कारण समस्या अधिक जटिल होती जा रही है। अंतर्राज्यीय मुद्दों को भी उचित रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। जल संसाधन क्षेत्र में बढ़ती समस्याओं के बावजूद राजविअ ने डीपीआर तैयार करने और संबंधित राज्यों की आम सहमति के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। राजविअ ने केन-बेतवा लिंक चरण-1 के संबंध में विभिन्न अपेक्षित मंजूरियां हासिल कर ली हैं, लेकिन अधिकारियों ने कठिन नियमों और शर्तों के साथ मंजूरी प्रदान की है और राजविअ इन शर्तों में ढील देने के लिए संघर्ष कर रहा है जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। ये जटिलताएं नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब का प्रमुख कारण हैं।

इसके बाद, महानिदेशक, राजविअ ने एजेंडा विषयों पर चर्चा की ।

मद संख्या 15.1: 17 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि नई दिल्ली में 17 जनवरी 2018 को आयोजित नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) की 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त को 9 फरवरी 2018 के पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को प्रचालित किया गया था।

चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

मद संख्या 15.2: पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की 14वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2018 को हैदराबाद में दक्षिणी राज्यों, 16 अप्रैल, 2018 को कोलकाता में पूर्वी राज्यों और 18 जून, 2018 को मुंबई में पश्चिमी राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सदस्य राज्यों के विभिन्न अन्य मुद्दों के अलावा इन सम्मेलनों के दौरान गोदावरी के जल को कावेरी बेसिन की ओर मोड़ने के वैकल्पिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इन बैठकों का कार्यवृत्त क्रमश अनुलग्नक-II, अनुलग्नक-III और अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

मद संख्या 15.3: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण -1 - विभिन्न वैधानिक मंजूरी की स्थिति।

महानिदेशक, राजविअ ने केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I की विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की स्थिति के बारे में सूचित किया जैसा कि बैठक के एजेंडा नोट्स में दर्शाया गया है, जिसे समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था।

मद संख्या 15.4: केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-**II**- डीपीआर की वर्तमान स्थिति।

महानिदेशक, राजविअ ने केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II की डीपीआर के अंतर्गत विभिन्न घटकों की स्थिति के बारे में सूचित किया, जैसा कि बैठक के एजेंडा नोट में दर्शाया गया है, जिसे समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था।

मद संख्या 15.5: दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं - डीपीआर की वर्तमान स्थिति।

महानिदेशक, राजविअ ने दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया, जिसे समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था।

पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के संबंध में विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों ने राजविअ द्वारा इन दो लिंक परियोजनाओं के संबंध में संबंधित एजेंसियों से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई। तदनुसार, माननीय मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने राजविअ को पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना के संबंध में संबंधित एजेंसियों से विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया।

मद संख्या 15.6: अंतर-राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति।

समिति के अनुरूप सरकारों की वर्तमान स्थिति। सदस्यों द्वारा विभिन्न राज्य एजेंडा नोट्स के अंतर-राज्य नदी लिंक प्रस्तावों को नोट किया गया।
मद संख्या 15.7: राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का पुनर्गठन

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि आईएलआर पर विशेष समिति की सहायता के लिए वर्ष 2015 में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा राजविअ (एससी-III) के पुनर्गठन के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था। उप-समिति-III ने सितंबर 2015 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई। आईएलआर के लिए विशेष समिति की बैठकों में भी रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। इस रिपोर्ट पर दिसंबर 2016 में सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) को एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें राजविअ को सलाह दी गई थी कि कुछ कार्यों / गतिविधियों को आउटसोर्स किया जा सकता है, इस पर विचार करते हुए जनशक्ति की आवश्यकता की समीक्षा करें। तदनुसार राजविअ ने मई 2017 में मंत्रालय को राजविअ के अंतरिम सुदृढ़ीकरण के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रस्ताव को आरबीएम योजना के ईएफसी में शामिल किया गया है।

महानिदेशक, राजविअ ने आगे बताया कि 23.03.2018 को आयोजित राजविअ की 65 वीं शासी निकाय की बैठक के दौरान, संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी), एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर ने सूचित किया कि मंत्रालय राजविअ के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर कुल मिलाकर सहमत हो गया है, लेकिन जैसा कि मंत्रालय बड़े सुधार कर रहा है, राजविअ का पुनर्गठन इसका एक उप-सेट बन जाएगा।

महानिदेशक ,राजविअ ने आगे बताया कि राजविअ के बढ़े हुए जनादेश के कारण राजविअ को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। चूंकि राजविअ के पुनर्गठन का प्रस्ताव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है, इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा किए जाने की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तकनीकी संवर्गों में 5 पद सृजित किए जाएं और राजविअ के पुनर्गठन के भाग के रूप में अंतरिम उपाय के रूप में विभिन्न संवर्गों में 9 पदों का उन्नयन किया जाए। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में राजविअ द्वारा माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) के समक्ष एक प्रस्तुति दी जाएगी।

मद संख्या 15.8: नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स

महानिदेशक, राजविअ ने सूचित किया कि आईएलआर के लिए टास्क फोर्स आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में आईएलआर और एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के लिए विशेष समिति की सहायता कर रहा है। टास्क फोर्स की अब तक नौ बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम बैठक 30.05.2018 को आयोजित की गई थी।

वित्तीय समूह का गठन।

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 12.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत भारत सरकार के पूर्व सचिव और टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. प्रदित्तो घोष की अध्यक्षता में नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर एक समूह का गठन किया है। समूह ने 7 अगस्त 2018 को आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के अध्यक्ष को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट आईएलआर के लिए कार्यबल द्वारा विचाराधीन है।

मद संख्या 15.9: गोदावरी के पानी को कावेरी बेसिन तक मोड़ने का वैकल्पिक प्रस्ताव।

महानिदेशक, राजविअ ने कार्यसूची नोट्स में दी गई विस्तृत स्थिति के बारे में सूचित किया जिसे समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया था। श्रीराम विदेरे ने प्रस्तावित इंचमपल्ली बांध से गोदावरी के पानी को कम ऊंचाई (एफआरएल 95.0 मीटर) के साथ मोड़ने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया। महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि इस कम ऊंचाई पर अनुमानित भंडारण कम हो जाएगा। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि इंचमपल्ली लो डैम से पानी को मोड़ने की संभावना की जांच करने के लिए राजविअ द्वारा एक अध्ययन किया जाएगा। तेलंगाना सरकार के सिंचाई मंत्री श्री टी हरीश राव ने सुझाव दिया कि राजविअ को गोदावरी-कृष्णा लिंक की योजना और निर्माण में अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में तेलंगाना राज्य का पूरा सहयोग देने की बात कही। कर्नाटक सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री डी के शिवकुमार ने उल्लेख किया कि राजविअ ने गोदावरी-कावेरी लिंक के माध्यम से मार्ग परिवर्तन की योजना बनाते समय कर्नाटक को जल हिस्से के आबंटन पर विचार नहीं किया है और इस प्रकार कर्नाटक के उचित हिस्से का अनुरोध किया है। महानिदेशक, राजविअ ने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2017 में एक तकनीकी नोट तैयार किया गया था और किसी भी राज्य को कोई आवंटन नहीं किया गया था। एक बार डीपीआर पूरी हो जाने के बाद, विपथनीय जल की मात्रा ज्ञात हो जाएगी और तटीय राज्यों के हिस्से के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

प्रधान सचिव (डब्ल्यूआर) ओडिशा ने डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन की प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया है जिस पर सहमति हुई थी।

माननीय जल संसाधन मंत्री, श्री डी उमा महेश्वर राव, आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि उनका राज्य नदियों को आपस में जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है और उनका राज्य भूजल पुनर्भरण को भी प्राथमिकता दे रहा है।

मद संख्या 15.10: नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति के अंतर्गत उप-समिति-**I** और **II** के कार्यकाल का विस्तार

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि दोनों उप समितियों की बैठकों में विचारार्थ विषयों के अनुसार कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। इन उप समितियों द्वारा अभी भी बड़ी मात्रा में कार्य किए जाने बाकी हैं। इस प्रकार, विभिन्न अध्ययन, समीक्षा रिपोर्टों, प्रणाली अध्ययनों, रिपोर्टों/अध्ययनों आदि का मूल्यांकन करने के लिए उप-समितियों-I और II के कार्यकाल को एक और वर्ष तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, आईएलआर के लिए विशेष समिति ने 12.02.2018 से उप-समितियों-I और II के कार्यकाल को एक और वर्ष तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

मद संख्या 15.11: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

माननीय मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने कहा कि आईएलआर परियोजनाओं के संबंध में संबंधित राज्यों की सहमति की धीमी गति के कारण इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है जिससे अंतत राष्ट्र को संभावित लाभ में विलंब हो रहा है। आम सहमति बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उन्होंने एक कानूनी तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया जो आईएलआर परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लागू करने के उद्देश्य से आम सहमति बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। आईएलआर संबंधी विशेष समिति ने माननीय मंत्री के सुझाव पर विचार-विमर्श किया। अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी श्री एस मसूद हुसैन ने बताया कि कार्य बल के निर्देश पर कानूनी समूह का गठन किया गया था, जिसने कार्यबल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस संबंध में किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस समिति द्वारा विधिक समूह के सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे विधिक समूह की रिपोर्ट पर उनके समक्ष एक प्रस्तुति दें।

माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने कहा कि पूर्व में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए काफी उपयोगी पाए गए।

माननीय मंत्री, पर्यटन एवं सिंचाई मंत्रालय श्री सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य की पेयजल परियोजनाओं के वित्तपोषण का मुद्दा उठाया।

माननीय जल संसाधन मंत्री श्री डी के शिवकुमार कर्नाटक सरकार ने उल्लेख किया कि राजविअ ने गोदावरी-कावेरी लिंक के माध्यम से मार्ग परिवर्तन की योजना बनाते समय कर्नाटक को जल के हिस्से के आबंटन पर विचार नहीं किया है और इस प्रकार कर्नाटक के उचित हिस्से का अनुरोध किया है।

माननीय जल संसाधन मंत्री श्री डी उमा महेश्वर राव आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने के अलावा आंध्र प्रदेश राज्य भूजल पुनर्भरण को प्राथमिकता दे रहा है।

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि सीडब्ल्यूसी द्वारा पार्बती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक के प्रस्ताव में तेजी लाई जानी चाहिए।

सचिव, जल संसाधन, आंध्र प्रदेश सरकार ने उल्लेख किया कि उन्होंने एक वर्ष पहले केन्द्रीय जल आयोग को पोलावरम परियोजना का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया है और इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया है। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) ने उल्लेख किया कि सीडब्ल्यूसी को संशोधित अनुमान में लागत में वृद्धि के औचित्य पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 20.08.2018 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति की 15 वीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची।

1. श्री नितिन गडकरी — अध्यक्ष
माननीय केंद्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर),
भारत सरकार, और अध्यक्ष, आईएलआर के लिए विशेष समिति, नई दिल्ली

2. श्री अर्जुन राम मेघवाल, — सदस्य
माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं जीआर),
भारत सरकार, नई दिल्ली

3. श्री सतपाल महाराज, — सदस्य
माननीय मंत्री (सिंचाई),उत्तराखंड सरकार, देहरादून

4. श्री डी उमा महेश्वर राव, — सदस्य
माननीय जल संसाधन मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, वेलागापुडी

5. श्री डी. के. शिवकुमार, — सदस्य
माननीय जल संसाधन मंत्री, कर्नाटक सरकार, बंगलुरु

6. श्री टी हरीश राव, — सदस्य
माननीय मंत्री (सिंचाई), तेलंगाना सरकार, हैदराबाद

7. श्री यू.पी. सिंह, — सदस्य
सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

8. श्री एस मसूद हुसैन, — सदस्य
अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

9. श्री आर एस प्रसाद — सदस्य
पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली

10. श्री अजय कुमार सिंह, — सदस्य
पूर्व इंजीनियर/विभाग अध्यक्ष (पर्यावरण), वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नागपुर

11. श्रीराम विदेरे — सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

12. श्री के के पयासी, — सदस्य
सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी, मध्य प्रदेश सरकार,
और सामाजिक कार्यकर्ता, सतना (म.प्र.)

13. श्री अरुण कुमार सिंह, सदस्य
अपर मुख्य सचिव, डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार, रांची

14. श्री राकेश सिंह, प्रमुख सचिव, डब्ल्यूआरडी,
सदस्य
कर्नाटक सरकार, बंगलुरू
15. श्री प्रदीप जेना, सदस्य
प्रधान सचिव, डब्ल्यूआरडी,
ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर
16. श्री राज मणि यादव, मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुये
सचिव, सिंचाई मंत्रालय
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
17. श्री शशि भूषण कुमार, सदस्य
सचिव, डब्ल्यूआरडी,आंध्र प्रदेश सरकार
18.वेलागापुडी श्री आर. वी. पांसे सदस्य
सचिव, डब्ल्यूआरडी,महाराष्ट्र सरकार, मुंबई
19. श्री ए के दिनकर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
मुख्य अभियंता ,सिंचाई विभाग,
उत्तराखंड सरकार, देहरादून
20. श्री के.एस. रामकुमार, सचिव, पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
उपाध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू,
तमिलनाडु सरकार, चेन्नई
21. श्री के. बी. रबाडिया सचिव, डब्ल्यूआरडी, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
मुख्य अभियंता (एसजी) और
अतिरिक्त सचिव (डब्ल्यूआरडी),
गुजरात सरकार, गांधी नगर
22. श्री एस नरसिम्हा राव प्रमुख सचिव (आई और सीएडी), तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
मुख्य अभियंता (आईएस एंड डब्ल्यूआर),
तेलंगाना सरकार, हैदराबाद
23. श्री सेलेस्टिन ज़ैक्सा, प्रमुख सचिव, डब्ल्यूआरडी, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
मुख्य अभियंता (निगरानी),
डब्ल्यूआरडी, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर
24. श्री रवि सोलंकी, प्रमुख सचिव, डब्ल्यूआरडी, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए

अपर मुख्य अभियंता (पश्चिम रेलवे)
राजस्थान सरकार, जयपुर

25. डॉ. केरकेट्टा सचिव, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
स.निदेशक, एमओईएफ एंड सीसी, भारत सरकार, नई दिल्ली

26. श्री बी. बंदोपाध्याय, मुख्य सलाहकार व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए
सलाहकार, (लागत) विभाग, व्यय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

27. श्री नरिंदर कुमार जैन, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
निदेशक (डबल्यूआर और पर्यावरण),
पंजाब सरकार, एसएएस नगर

28. श्री सी. चन्द्र मिश्रा रेजिडेंट इंजीनियर, प्रधान सचिव, डब्ल्यूआरडी, बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए
डब्ल्यूआरडी,
बिहार सरकार, नई दिल्ली

29. श्री विजय कुमार पी.जी., सचिव, डब्ल्यूआरडी,
नोडल अधिकारी, डब्ल्यूआरडी का प्रतिनिधित्व करते हुए, केरल सरकार, नई दिल्ली
30. श्री एम.के.श्रीनिवास, सदस्य-महासचिव, राजविअ,नई दिल्ली
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के आमंत्रित गण और अधिकारी
31. श्री अखिल कुमार,
संयुक्त सचिव (आईसी एंड जीडब्ल्यू), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली
32. श्री नितीश्वर कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन),
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली
33.सुश्री निहारिका राय,
माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण), नई दिल्ली के निजी सचिव
34. श्री आर. एन. दीक्षित, मंत्री(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय),
नई दिल्ली के अतिरिक्त निजी सचिव
35. श्री सुधीर दिवे,
माननीय मंत्री(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय), नई दिल्ली के सलाहकार
36. श्री कुमार गुरुंग,
माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय),
नई दिल्ली के निजी सहायक
37. श्रीमती नीता प्रसाद,
एडीजी, प्रेस सूचना ब्यूरो, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली
38. श्री वीरेन्द्र शर्मा,
वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली
39. श्री एस. के. पांडे,
प्रवक्ता, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,
पीआईबी, नेशनल मीडिया सेंटर, नई दिल्ली
40.श्री मोहित शर्मा,
संचार विशेषज्ञ, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी

41. श्री के. सी. नाइक,
अध्यक्ष, केंद्रीय भूजल बोर्ड, फरीदाबाद
42. श्री एन. के. माथुर,
सदस्य डी एंड आर, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

43. श्री जे.एस. बावा,
मुख्य अभियंता (एचपी एंड आई), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली।
44. डॉ. नरेश कुमार,
मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
45. श्री शांतनु चौधरी निदेशक, एनआरएससी,
इसरो, हैदराबाद
46. श्री ए के गुप्ता,
उप महानिदेशक,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नई दिल्ली
47.सुश्री नीलिमा आलम,
वैज्ञानिक 'ई', विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली
48. श्री मनमीत सिंह चौधरी, प्रबंधक (पर्यावरण),
एमओईएफ एंड सीसी, भारत सरकार, नई दिल्ली
49. श्री जे बोस,
निदेशक, व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली
50. डॉ. वी. एम. चौधरी, वैज्ञानिक/ (एसजी), एनआरएससी, इसरो, हैदराबाद
51. श्री बी.पी.यादव, डिप्टी, डीजीएम,
भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

राज्य सरकारों के अधिकारी

52. श्री कुणाल कुणालश्रेष्ठ, मुख्य अभियंता, और विभाग अध्यक्ष ,
सिंचाई और डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
53. श्री हेमंत कुमार, मुख्य अभियंता, डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार, रांची
54. श्री एम बंगरा स्वामी,मुख्य अभियंता (आईएसडब्ल्यू),
डब्ल्यूआरडी, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु
55. श्री अशोक कुमार,
मुख्य अभियंता (निगरानी), डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार, रांची
56. श्री डी. राम कृष्ण
वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार (आईएसडब्ल्यूआर), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
57. श्री बी. के. नागेश्वर राव, मुख्य अभियंता (आईएसडब्ल्यूआर),
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

58.श्री श्रीरामैया,प्रधान तकनीकी सलाहकार,
डब्ल्यूआरडी, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु
59. श्री ए. वरप्रसाद राव,
संयुक्त निदेशक, जीडब्ल्यूडी और ओएसडी, जल संसाधन,
आंध्र प्रदेश सरकार, वेलागापुडी
60. श्री अभिषेक शर्मा,
मंत्री (पर्यटन एवं सिंचाई), उत्तराखंड सरकार, देहरादून के ओएसडी
61. श्री एमपी सामरिया, अधीक्षण अभियंता, डब्ल्यूआरडी,
राजस्थान सरकार, जयपुर
62. श्री एन वीर प्रताप, कार्यकारी अभियंता (आईएसडब्ल्यूआर),
आंध्र प्रदेश सरकार,
63. श्री वाई एम गोपालकृष्णन,
उप कार्यकारी अभियंता, (आई एंड सीएडी) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद
64. श्री सनी चौधरी,
उप प्रभाग अभियंता , डब्ल्यूआरडी, पंजाब सरकार
65. सुश्री कामाना झा, संपर्क अधिकारी, डब्ल्यूआरडी,
आंध्र प्रदेश सरकार, नई दिल्ली
66.श्री अनुराग शर्मा,
सहायक अभियंता,तेलंगाना सरकार, नई दिल्ली

राजविअ के अधिकारी

67. श्री आर. के. जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्यालय), नई दिल्ली
68. श्री एन. सी. जैन,
मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ
69. श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), नई दिल्ली
70. श्री मुजफ्फर अहमद, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली
71. श्री बी.एल. शर्मा, अधीक्षण अभियंता, भुवनेश्वर
72. श्री सी. पी. एस. सेंगर, अधीक्षण अभियंता, पटना
73. श्री नरेन्द्र कुमार, निदेशक (प्रशासन), नई दिल्ली
74. श्री आर. के. सिन्हा, निदेशक (वित्त), नई दिल्ली
75. श्री आर. के. खरबंदा, उप निदेशक, नई दिल्ली

76. श्री केके श्रीवास्तव, उप निदेशक, नई दिल्ली
77. श्री राकेश कुमार गुप्ता, कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), नई दिल्ली
78. श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक,नई दिल्ली
79. श्री के. के. राव, उप निदेशक, नई दिल्ली
80. श्री निजाम अली, सलाहकार नई दिल्ली